::समझौता पत्र::

"सबके लिए शिक्षा" (Education for all-E.F.A.) योजना के क्रियान्वयन के लिए जन जाति कार्य विभाग, म.प्र. राज्य मुक्त स्कल शिक्षा बोर्ड तथा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के मध्य त्रि–पक्षीय समझौता आज दिनांक 6.9.2023 ... भोपाल में निम्नानुसार किया गया :–

1. जन जाति कार्य विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल (इसके पश्चात इसे प्रथम पक्ष के रूप में सम्बोधित किया गया है)
2. मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड – शिवाजी नगर, भोपाल (इसके पश्चात इसे द्वितीय पक्ष के रूप में सम्बोधित किया गया है)
3. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र. (इसके पश्चात इसे तृतीय पक्ष के रूप में सम्बोधित किया गया है)

कार्यक्षेत्र

अ– "प्रथम पक्ष"

1. योजना के लिए चिन्हित विद्यालयों में प्रथम पक्ष द्वारा वर्तमान में जारी सभी शासकीय योजनाओं को लागू रखा जायेगा।
2. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के लिए विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायेगा, जिनमें से स्कूल का चयन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।
3. इन विद्यालयों में पद पूर्ति, शिक्षकों/स्टाफ का वेतन, विद्यालय संचालन से संबंधित अन्य वर्तमान में दिये जाने वाले आवर्ती व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
4. इन स्कूलों का प्रशासकीय नियन्त्रण प्रथम पक्ष के पास ही रहेगा। प्रथम पक्ष द्वारा इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं स्टाफ का स्थानांतरण द्वितीय पक्ष के सहमति के बिना नहीं किया जायेगा।
5. प्रथम पक्ष की मांग अनुसार यथा संभव शिक्षक एवं स्टाफ उपलब्ध करायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में ऐसे पद जो वर्तमान में स्वीकृत नहीं हैं, यथा खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक, पूर्व प्राथमिक शिक्षक आदि के लिए आउट सोर्सिंग से किया जाने का प्रस्ताव द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत यथा संभव उपलब्ध करायेगा अथवा द्वितीय पक्ष को अनुमति देगा।
7. द्वितीय पक्ष से प्राप्त स्थानांतरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव पर निर्णय प्रथम पक्ष द्वारा प्राथमिकता से किया जायेगा।

ब–"द्वितीय पक्ष"

1. प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से योजना के क्रियान्वयन के लिए विद्यालयों का चयन करेगा।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा चयनित विद्यालयों में अद्योसंरचना के गेप को चिन्हित कर पूर्ति किया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष इन स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी वहन करेगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा इन स्कूलों में अद्योसंरचना की पूर्ति के अलावा शिक्षकों एवं छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण (आवश्यकता अनुसार) की व्यवस्था करेगा एवं

इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। योजना समाप्ति पश्चात् द्वितीय पक्ष द्वारा निर्मित अद्योसंरचना को प्रथम पक्ष को हस्तांतरित किया जाएगा।

5. कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। इसके उपरांत आवश्यकता होने पर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से प्रथम पक्ष के अनुमोदन से द्वितीय पक्ष शुल्क ले सकेगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा नवीन पाठ्यक्रम लागू करने के पूर्व समस्त सक्षम स्वीकृतियाँ प्राप्त की जायेगी।
7. प्रोजेक्ट अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा देनदारी निर्मित नहीं की जायेगी।
8. इन चयनित विद्यालय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। यदि कतिपय गतिविधियों के संचालन के लिए किसी अन्य संस्थाओं से एम.ओ.यू. किया जाना हो तो यह कार्य द्वितीय पक्ष करेगा, परन्तु एम.ओ.यू. के पूर्व प्रथम पक्ष से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

स–''तृतीय पक्ष''

1. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र.– द्वितीय पक्ष की मांग पर चयनित विद्यालयों में आवश्यक सहयोग।

   <u>सामान्य प्रावधान –</u> इस समझौता पत्र से किसी भी पार्टी पर कोई कानूनी बाध्यतां निर्मित नहीं होगी। यह तीनों पक्षों के आपसी विश्वास पर आधारित होगा।
2. वैधता एवं समाप्ति– इस समझौता पत्र की समयावधि हस्ताक्षरित किये जाने से 03 वर्ष की कालावधि होगी। समाप्त न किये जाने की स्थिति में अगले 03 वर्ष के लिए स्वतः निरंतर होगी।
3. विवाद– किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (प्रशासनिक अनुमोदन से)

(प्रभात राज तिवारी)	(प्रभात राज तिवारी)	(संजीव सिंह)
निदेशक	संचालक	आयुक्त
महर्षिपतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र.	म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड,	जनजाति कार्य विभाग

साक्षी :–

1. हस्ताक्षर ( )
   नाम :– सुधांशु वर्मा
   पता :– सहायक आयुक्त
2. हस्ताक्षर ( )
   नाम :– Ram vaidya
   पता :– Asst Dir. MPSOSEB